पुनः मामला पर लिया गया।

विद्वान अधिवक्ता ने नयी आपत्ति की दलील का खण्डन किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा नियत दिनांक को प्रार्थी या उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर वाद खारिज किया है जो उचित ही जो तथ्य प्रस्तुत किये है की पुष्टि पत्रावली पर नियत तारीख को नहीं होती है। यदि प्रार्थी अधिवक्ता को 1/11/2018 को भी मजबूरी होना मान भी लिया जावे तो उसके द्वारा प्रार्थना पत्र बुधी दिन प्रस्तुत किया जाना चाहिये था।

अतः उभय पक्ष की दलील एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी अधिवक्ता व जवाब पर गौर करने पर यह जाहिर है कि प्रार्थी अधिवक्ता या प्रार्थी नियत दि. 31/10/18 को उपस्थित नहीं होने और न ही जो कारण दिया है वह संतोषप्रद है। ~~इसलिये~~ मियाद में भी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होना जाहिर नहीं होता है। इसलिये मैं प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत चार्टर 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाकर पत्रावली फैसलशुदा शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो कर डी.आर. तामील हेतु पत्रावली हमकीम दी। आदेश आज दिनांक 24/5/2018 को खुले न्यायालय में दिया।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)